न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

बाजदायरी प्रार्थना पत्र सं0 26/2009

उनवान

1. बुद्धा

..... वादी/अपीलांट

बनाम

1. श्री कुमार वगैरा ।

.....प्रति0/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री श्योरामसिंह, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अभयसिंह यादव अभिभांषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.07.2017

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अपील पुनः नम्बर पर लेने हेतु इस न्यायालय के निर्णय दि0 21.4.2009 के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपील में तारीख पेशी दि0 21.4.2009 नियत थी जिस दिन अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई । प्रार्थी जमीदार व्यक्ति है तथा फसल का समय होने के कारण प्रार्थी अपीलांट पेशी पर नहीं आ सके तथा अपीलांट के अधिवक्ता भी दीगर अदालत में दीगर प्रकरण में व्यस्त होने के कारण वक्त आवाज अदालत श्रीमान् में हाजिर नहीं हो सके जिस कारण दि0 21.4.2009 को अपील अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दी गई । अपील खारिज रहने से अपीलांट के हकूक जायल होते हैं और भारी नुकसान है तथा प्रार्थी प्रकरण में पैरवी करने में पूर्ण दिलचस्पी रखता है और नेकनियति से पैरवी करना चाहता है । इसलिए न्यायहित में अपील पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया/गया । अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी जमीदार व्यक्ति है तथा फसल का समय होने के कारण प्रार्थी/अपीलांट पेशी पर नहीं आ सका तथा प्रार्थी के अधिवक्ता दीगर न्यायालय में व्यस्त होने के कारण श्रीमान् के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये जबकि प्रार्थी प्रकरण में पैरवी करने में पूर्ण दिलचस्पी रखता है तथा अपील खारिज होने से अपीलांट/प्रार्थी के हकूक जायल होते हैं । इसलिए नेक नियति भावना से अपील पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट/प्रार्थी जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ तथा श्रीमान् के न्यायालय के उपस्थित होने का कोई संतोषजनक कारण भी अंकित नहीं किया । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में सही खारिज की है । यदि अपीलांट या उनके अधिवक्ता प्रकरण में पूर्ण दिलचस्पी रखते तो न्यायालय श्रीमान् में कोई न कोई अवश्य उपस्थित होते । इसलिए अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने का खारिज किया जावें ।

इसके साथ ही प्रार्थी श्री कुमार ने जर्ये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 सि.प्र.स. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट बुद्धा पुत्र घीसा का स्वर्गवास दि0 20.7.2012 को हो चुका है । मृतक के स्थान पर उसके वारिसान को पत्रावली पर अंकित कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत नहीं किया है । अपीलांट का स्वर्गवास हुए 7 माह से अधिक हो चुका है । कानूनन अपील अबैट हो चुकी है । इसके साथ अलावा एक अन्य प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 सं0 5 झूंथर पुत्र गट्ठीराम जाति आगरी निवासी शेरपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर का स्वर्गवास दि0 11.1.2011 को एक रेस्पो0 सं0 1 श्रीकुमार शर्मा का भी स्वर्गवास दि0 22.6.2013 को हो चुका है । इनके भी वारिसान को आज तक पत्रावली पर मृतक के स्थान पर रेस्पो0 की श्रेणी में अंकित नहीं किया है जबकि विधि द्वारा निर्धारित अवधि 90 दिन में मृतक के वारिसान को पत्रावली में मृतक के स्थान पर रेस्पो0 की श्रेणी में दर्ज नहीं किया गया है । इसलिए अपील को अबैटमेन्ट के आधार पर खारिज किया जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । इस न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियत तारीख पेशी दि0 21.4.2009 को न तो अपीलांट उपस्थित हुए और न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए । उन्हें बार–बार आवाज लगवाई गयी । अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई ठोस तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि वे प्रकरण में दिलचस्पी रखते हो । इस न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलांट की अपील पूर्व में भी दि0 6.10.2006 को अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है । इससे यह तथ्य तो स्पष्ट है कि अपीलांट व उनके अधिवक्ता अपनी अपील में दिलचस्पी से पैरवी नहीं कर रहे हैं और बार–बार अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई है । यदि प्रकरण में दिलचस्पी से पैरवी की गई होती तो बार–बार अपील अदम हाजरी में खारिज नहीं होती । इसलिए अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

इसके साथ ही प्रार्थी श्री कुमार रेस्पो0 जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट बुद्धा पुत्र घीसा का स्वर्गवास दि0 20.7.2012 को हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध है । अपीलांट बुद्धा का स्वर्गवास हुए करीब 7 माह से अधिक की अवधि का समय हो चुका है किन्तु मृतक बुद्धा के वारिसान को पत्रावली पर अंकित कराने हेतु अपीलांट द्वारा कोई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है । इसलिए वर्तमान अपील कानूनन अबेट हो चुकी है और प्रार्थी श्री कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि0 6.3.2013 स्वीकार योग्य है और अपील अबेट होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि0 21.5.2009 अपील को पुनः नम्बर पर लेने का खारिज योग्य है ।

अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी बुद्धा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि0 21.5.2009 अपील पुनः नम्बर पर लेने का खारिज किया जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner